2012:CGHC:10385-DB

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खण्डपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील सं. 1021 / 1995

हेमलाल उर्फ विजय कुमार देवांगन

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक : 02/04/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

न्यायाधीश

दिनांक : 02/04/2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 1021/1995

अपीलार्थी – हेमलाल उर्फ विजय कुमार देवांगन, पिता राम सरन देवांगन, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी – ग्राम तुलसी, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी – मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा पुलिस थाना मंदिर-हसौद, जिला रायपुर।

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित **:**

श्री प्रफुल्ल एन. भारत, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(02.04.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित::

1. यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 332/94 में सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा उसे आजीवन कठोर कारावास का दण्ड प्रदान किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:—

मृतका— गोमती बाई @ ममता अपीलार्थी की पत्नी थी। उसका विवाह अपीलार्थी से वर्ष 1992 में हुआ था। विवाह के पश्चात वह कुछ समय तक अपने ससुराल में रही, तत्पश्चात अपने मायके चली गई। बाद में वह दिनांक 4.3.1994 को पुनः अपीलार्थी के घर आई। इसके उपरांत अपीलार्थी ने मृतका के पिता समय लाल (अ.सा.- 3) से ₹1,000/- की मांग की, क्योंकि उसे किसी समिति का ऋण चुकाना था। समय लाल (अ.सा.- 3) उक्त मांग पूरी नहीं कर सका। दिनांक 26.3.1994 को अपीलार्थी ने मृतका को उसके पिता के घर भेज दिया, तथापि कुछ समय बाद समय लाल (अ.सा.- 3) मृतका को पुनः अपीलार्थी के घर छोड़ आया। दिनांक 1.4.1994 को अपीलार्थी एवं मृतका के मध्य कुछ झगड़ा हुआ और मृतका ने इस संबंध में थाना मंदिर हसौद में प्रदर्श - पी/10 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। उक्त प्रकरण में उसका चिकित्सीय परीक्षण डॉ. के.एस. राय (अ.सा.- 8) द्वारा किया गया, जिसमें मृतका के शरीर पर ऑक्सिपिटल क्षेत्र में

हैमाटोमा तथा बाएँ कलाई पर कंट्यूज़न, दोनों ही कठोर एवं भोंथरे वस्तु से करित की गई थी। तत्पश्चात, दो आवेदन अर्थात प्रदर्श - पी/3 एवं प्रदर्श - पी/4 एक साथ थाना मंदिर हसौद में प्रस्तुत किए गए और मामला में राजीनामा कर लिया गया , जिसके बाद मृतका पुनः अपीलार्थी के घर चली गई। अपीलार्थी एवं मृतका अलग-अलग रह रहे थे। अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 2.6.1994 को लगभग रात्रि 8.30 बजे, अपीलार्थी रायपुर से लौटकर आया और मृतका से भोजन की मांग की, परंतु भोजन परोसा नहीं गया, जिस पर अपीलार्थी ने मूसल (लोढ़ा) से मृतका के सिर के पीछे वाले भाग पर प्रहार किया, तत्पश्चात उसे खाट पर लिटाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपीलार्थी ने अपनी माता एवं पिता को यह कहते हुए सूचना दी कि मृतका बेहोश हो गई है। किंतु जब ग्रामीण अपीलार्थी के घर एकत्र हुए, तो उन्होंने मृतका को मृत अवस्था में पाया। इसके पश्चात अपीलार्थी स्वयं थाना गया और उसी दिन रात्रि लगभग 24.00 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (F.I.R. – प्रदर्श - पी/14) दर्ज कराई। यह एक स्वीकृतिपूर्ण (confessional) एफ.आई.आर. थी, जिसमें अपीलार्थी ने मृतका की हत्या से संबंधित उपर्युक्त समस्त विवरण दिया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचा, पंचों को सूचना (प्रदर्श - पी/1) दी तथा मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श - पी/2) तैयार किया। मृतका के शव को परीक्षण हेतु डी.के. अस्पताल, रायपुर में प्रदर्श - पी/13-A के माध्यम से भेजा गया। शव परीक्षण परीक्षण डॉ. डी.सी. जैन (अ.सा.- 9) द्वारा किया गया, जिन्होंने सिर के पिछले भाग पर कठोर एवं भोंथरे वस्तु से उत्पन्न विदीर्ण घाव पाया। अधःस्थित अस्थियों में अनेक फ्रैक्चर पाए गए तथा मस्तिष्क भी क्षतिग्रस्त था। शव परीक्षण चिकित्सक के अनुसार उक्त चोटें सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं; मृत्यु का कारण उक्त चोटों के परिणामस्वरूप कोमा था तथा मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श - पी/13 है। अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श - पी/7) दर्ज किया गया और अपीलार्थी के कथन के आधार पर जप्ती-पत्र (प्रदर्श - पी/8) के माध्यम से मूसल (लोढ़ा) की जप्ती की गई। जप्त सामग्री को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार मृतका के वस्त्रों तथा मूसल (लोढ़ा) पर रक्त-धब्बे पाए गए। आगे इन वस्तुओं को सीरोलॉजिकल परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा गया, जहाँ से दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 का प्रतिवेदन (प्रदर्श - पी/18) प्राप्त हुआ। सीरोलॉजिस्ट प्रतिवेदन के अनुसार मृतका के वस्त्रों तथा मूसल (लोढ़ा) पर पाया गया रक्त मानव रक्त था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह निर्विवाद है कि उक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। माननीय सत्र न्यायाधीश ने स्वीकृतिपूर्ण एफ.आई.आर. तथा अपीलार्थी के कथन पर मूसल (लोढ़ा) की बरामदगी एवं जप्ती से संबंधित परिस्थितियों पर भरोसा नहीं किया। तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर, उपर्युक्तानुसार दंडित किया:—

    I. मृतका का विवाह अपीलार्थी से वर्ष 1992 में हुआ था तथा दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी;

    II. अपीलार्थी एवं मृतका के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे;

III. अपीलार्थी एवं मृतका के पारिवारिक सदस्यों के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे;

IV. अपीलार्थी ने मृतका के पिता से ₹1,000/- की मांग की थी, जिसे वह पूरा नहीं कर सका;

V. पूर्व में एक अवसर पर अपीलार्थी ने मृतका के साथ मारपीट की थी, जिसके संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था तथा मृतका का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसके शरीर पर उक्त चोटें पाई गई थीं;

VI. अपीलार्थी एवं मृतका, अपीलार्थी के आवास में साथ रह रहे थे तथा मृतका का शव अपीलार्थी के घर के शयनकक्ष (बेडरूम) में पाया गया और उसकी मृत्यु मानववध प्रकृति की थी; एवं

VII. अपीलार्थी अपने घर में मृतका की मानववध मृत्यु के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त परिस्थितियाँ अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्णतः स्थापित नहीं की गई हैं; और यदि यह भी मान लिया जाए कि उक्त परिस्थितियाँ स्थापित हुई हैं, तब भी उनसे केवल यही एकमात्र निष्कर्ष नहीं निकलता कि मृतका पर प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित करने वाला अपीलार्थी ही था; अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

5. इसके विपरित , राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के संपूर्ण अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

7. समयलाल (अ.सा.- 3) मृतका के पिता हैं। उन्होंने अपने कथन में बताया कि विवाह के पश्चात् मृतका अपने पति के घर एक बार एक दिन के लिए तथा बाद में लगभग एक माह तक रही। इसके पश्चात् वह अपने मायके आ गई और गौना दिनांक 4.3.1994 को सम्पन्न हुआ। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभियुक्त ने उनसे किसी समिति का ऋण चुकाने के लिए ₹1,000/- की मांग की थी, किंतु उन्होंने उक्त राशि देने से इंकार कर दिया, जिस पर अभियुक्त यह कहकर वापस चला गया कि वह स्वयं ही उक्त राशि का भुगतान कर देगा। इसके पश्चात् दिनांक 26.3.1994 को अभियुक्त ने ₹1,000/- की उक्त राशि के लिए मृतका को उसके मायके भेजा, किंतु उसे वह राशि नहीं दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतका के पिता समयलाल (अ.सा.- 3) द्वारा ₹1,000/- की मांग पूरी न किए जाने के कारण अभियुक्त इस बात से व्यथित था।

8. अभियुक्त मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। यह तथ्य पूर्ववर्ती आपराधिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों से सिद्ध होता है, जिनसे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने मृतका के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण मृतका को प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ़.आई.आर.) दर्ज करानी पड़ी तथा उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। चिकित्सक डॉ. के.एस. राय (अ.सा.- 8) द्वारा अपने कथन में मृतका के शरीर पर उपर्युक्त चोटें पाई जाने की पुष्टि की गई है। ये समस्त परिस्थितियाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से विधिवत् रूप से सिद्ध की गई हैं।

9. सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि मृतका का शव अभियुक्त के घर में पाया गया तथा अभियुक्त यह स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल रहा कि उसकी पत्नी की मनाववध मृत्यु उसके ही घर में किस प्रकार हुई। अभियुक्त द्वारा यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया कि जब वह रायपुर से अपने घर पहुँचा, तब उसने देखा कि मृतका घर में पलंग पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और तत्पश्चात् वह तत्काल अपने माता-पिता के पास जाकर इस संबंध में शिकायत करने गया।

10. सुशील कुमार (अ.सा.- 1) एवं राजेन्द्र कुमार (अ.सा.- 5) ने अपने-अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्त अपने पिता राम सरन के पास गया और यह कहा कि उसकी पत्नी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पर अभियुक्त के पिता तथा अन्य गवाह अभियुक्त के घर गए। एक वैद्य को भी बुलाया गया, जिसने मृतका की जाँच की और उसे मृत पाया। सत्र न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि उसी समय तत्काल अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती गोमती बाई उर्फ ममता को किस प्रकार चोटें आईं तथा वह अचेत कैसे हुई। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त ने यह बताया हो कि उसकी पत्नी को उक्त चोटें कैसे लगीं। सत्र न्यायाधीश ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि न तो राजेन्द्र कुमार (अ.सा.- 5) और न ही सुशील कुमार (अ.सा.- 1) ने यह कहा कि अभियुक्त ने अपने पिता से यह बताया था कि वह अपने काम से लौटने के पश्चात् अपनी पत्नी को घायल अवस्था में अचेत पड़ी हुई पाया। अतः सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव पक्ष का कथन सिद्ध नहीं हो सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्री भरत ने मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अभियुक्त सुसंगत समय पर गाँव में अथवा अपने घर पर उपस्थित था। हमने श्री भरत द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। राजेन्द्र कुमार (अ.सा.- 5) अभियुक्त का पड़ोसी है। उसने अपने कथन में बताया कि लगभग रात्रि 10.00 बजे वह अभियुक्त के पिता राम सरन के साथ गाँव में एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसी समय अभियुक्त वहाँ आया और अपने पिता से कहा कि उसकी पत्नी (मृतका) की तबीयत ठीक नहीं है तथा उसने अपने पिता से उसके घर चलने का अनुरोध किया। राम सरन तथा वहाँ बैठे अन्य व्यक्ति (2-4 व्यक्ति) अभियुक्त के साथ उसके घर गए। यह गवाह भी अभियुक्त के साथ उसके घर गया। वहाँ उसने देखा कि मृतका गोमती बाई खाट पर पड़ी हुई थी। इसके पश्चात् एक वैद्य को बुलाया गया, जिसने मृतका की नाड़ी देखी और बताया कि मृतका की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिपरीक्षण के दौरान, कंडिका-5 में, राजेन्द्र कुमार (अ.सा.- 5) ने स्वीकार किया कि अभियुक्त अपने कार्य के लिए रायपुर जाया करता था और घटना के दिन वह लगभग सायं 7-8 बजे रायपुर से वापस लौटा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना के दिन अभियुक्त लगभग सायं 7-8 बजे अपने घर लौट आया था और उस समय से वह अपने घर में ही उपस्थित था। यदि अभियुक्त का यह स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया जाए कि रायपुर से लौटने पर उसने अपनी पत्नी को खाट पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभियुक्त सायं 7-8 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मौन क्यों रहा और उसने इस घटना की जानकारी न तो गाँव वालों/पड़ोसियों को दी और न ही अपने पिता को रात्रि 10.00 बजे से पहले नहीं दी। इसके अतिरिक्त, हम यह भी देखते हैं कि मृतका खून के तालाब में खाट पर पड़ी हुई थी तथा उसके ऑक्सिपिटल क्षेत्र में गंभीर चोटें थीं। यह सब अभियुक्त द्वारा अवश्य देखा गया होगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी?

और उसने अपने पिता तथा अन्य गाँव वालों, जिनमें राजेन्द्र कुमार (अ.सा.- 5) भी शामिल था, को यह क्यों बताया कि मृतका की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उसे यह बताना चाहिए था कि उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसकी मृत्यु हो चुकी है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने यह बताने के संबंध में कोई युक्तिसंगत एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया कि उस घर में, जहाँ वह मृतका के साथ अकेला रहता था, उसकी पत्नी की हत्या कैसे हुई। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह स्थापित होता है कि अभियुक्त सुसंगत समय पर अपने घर में उपस्थित था तथा उसने अपनी पत्नी की हत्या के संबंध में कोई उचित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। हमारा मत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा इस परिस्थिति को अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्ध करने वाली परिस्थिति मानना पूर्णतः उचित है।

12. उपर्युक्त दोषसिद्ध करने वाली परिस्थितियाँ, हमारे विचार में, एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं और अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से संगत नहीं हैं। यदि अभियुक्त सुसंगत समय पर अपनी पत्नी (मृतका) के साथ था, तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए था कि उसकी पत्नी (मृतका) को उपर्युक्त चोटें कैसे और कब आईं। वास्तव में, उसे ऐसा युक्तिसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उसे दोषमुक्त करता। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उसकी निर्दोषता सिद्ध हो सके।

13. उपर्युक्त कारणों के चलते, हमें इस अपील में कोई सार नहीं दिखाई देता। अतः अभियुक्त द्वारा दायर की गई यह अपील निराधार है और इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate